



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1319]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2010/आषाढ़ 7, 1932

No. 1319]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2010/ASADHA 7, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2010

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1552(अ).—(क) केन्द्र सरकार ने, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के अन्तर्गत, जोन 'जी' (पश्चिमी दिल्ली-I) की क्षेत्रीय विकास योजना को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) यथा अनुमोदित योजना को एक प्रति निदेशक कार्यालय (योजना), अनधिकृत कॉलोनी, 'जे' एवं 'जी' जोन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दि.वि.प्रा. कार्यालय, 12वीं मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य-दिवसों को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक देखी जा सकती है।

[फा. सं. एफ. 4(02)/2007/एम पी/पार्ट-IV]

विश्व मोहन वंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

NOTICE

New Delhi, the 28th June, 2010

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1552(E).—(a) The Central Government under Section 11-A of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'G' (West Delhi-I).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the Office of Director (Planning) Unauthorized Colony, 'J' & 'G' Zone, Delhi Development Authority, DDA Office, 12th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi between the hours of 11.00 A.M. to 3.00 P.M. on all working days.

[F. No. F. 4 (02)/2007/MP/Pt.-IV]

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.